न्यायालय उप- जिलाधिकारी खेरागढ़ , आगरा।

मु0 नं0- 5 /203

अभिषेक कुमार बनाम ग्राम सभा तेहरा

अन्तर्गत धारा 143 भू-राजस्व अधिनियम
ग्राम - तेहरा तहसील खेरागढ़, जिला
आगरा।

आदेश 5-6-03

अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी 2/363 नामनेर आगरा व हैसियत निदेशक - शान्ति निकेतन कालेज ऑफ बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर साइंस, तेहरा जिला आगरा , धारा 143 भू-राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि खाता संख्या 22 के खसरा संख्या - 260 क रकबा 0-6050 हैक्टेयर लगानी 19-70 पै0 पर काबिज व दखील है। यह है कि उक्त आराजी मौके पर आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है, कृषि प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। जो विगत लगभग एक वर्ष से आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है। उक्त आधार पर उपरोक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना-पत्र की जाँच तहसीलदार से करायी गयी । प्राप्त आख्या दिनांक 22-3-03 में अवगत कराया है कि उल्लिखित भूमि कृषि के प्रयोग में नहीं आ रही है । यह भूमि आबादी के प्रयोजन में आ रही है। उक्त भूमि के सम्बंध में यह भी अवगत कराया है कि उक्त भूमि का स्वामित्व शान्ति निकेतन कालेज ऑफ बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर साइंस,तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा का है जिसमें श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री बिजय कुमार का नाम मात्र निदेशक की हैसियत से दर्ज है। तथा उक्त भूमि एक वर्ष से आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है। तथा वर्तमान में भी आबादी प्रयोग में लायी जा रही है। अतः आबादी प्रख्यापित किए जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रतिलिपि खसरा एवं, तहसील से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया जिससे प्रकट है कि प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रही है। तथा आबादी के प्रयोजन में आ रही है। प्रतिलिपि खसरा ग्राम तेहरा 1407 फसली में उल्लिखित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

अतः तहसीलदार खेरागढ़ की संस्तुति दिनांक 22-3-2003 के आधार पर ग्राम तेहरा का गाटा संख्या- 260क रकबा 0-6050है0 लगान 19-70 पै0 को आबादी घोषित किया जाता है , तथा लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार प्रख्यापन जारी किया जाय।

दिनांक: 5-6-203.

(एस0 के0 दीक्षित)
उपजिलाधिकारी खेरागढ़
जिला आगरा।

क्रमांक ...

आवेदक का नाम ...

आवेदन की तिथि 5-6-03

... तिथि 6/6/03

... 2000 ...

... 6/-50

TRUE COPY

Director
SHANTI NIKETAN COLLEGE
OF BUSINESS MANAGEMENT
& COMPUTER SCIENCE
Affiliated To Dr. B. R. Ambedkar University, Agra
(Recognised By - U. P. State Govt.)

PAWAN KUMAR SHARMA Advocate
Distt. AGRA
Regd. No. 2323/02

न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या 25 /07-08

अभिषेक कुमार

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

मौजा तेहरा, तहसील खेरागढ़

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार वं हैसियत निदेशक शांति निकेतक कालेज ऑफ बिजनिस मैनिजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर सांइस 2/363 नामनेर आगरा तहसील व जिला आगरा के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2008 पर प्रारम्भ हुयी, आवेदक का कथन है कि वह मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा के खाता संख्या 791 के गाटा संख्या 262 रकवा 0.3680 व गाटासंख्या 268 रकवा 0.9060 कुल किता 2 कुल रकवा 1.2740 हेक्टैयर में 1/3 भाग रकवा रसदी 0.4246 हेक्टैयर व खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 हेक्टैयर में पूर्ण भाग का मालिक काविज व स्वामी है। उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोग में नही ली जा रही है। विद्यालय के खेल के मैदान के रूप में दो वर्षो से प्रयोग में ली जा रही हैं उक्त भूमि पर मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन नहीं किया जा रहा हैं।अन्त में उसने आवादी घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार खेरागढ से आख्या प्राप्त की गयी, तहसीलदार खेरागढ ने दिनांक 20.09.2008 को नियम 135(1) ज0वि0 अधि0 के तहत नियत प्रारूप के साथ साथ विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुए उल्लखित किया है कि ग्राम तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा के गाटा संख्या 259ग क्षेत्रफल 1.1980 हेक्टैयर पूर्ण रकवा में अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार व हैसियत निदेशक शांति निकेतक कालेज ऑफ बिजनिस मैनिजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर सांइस चला रहा है प्रार्थी की उक्त भूमि पर विगत 2 वर्ष से कृषि कार्य नही हो रहा है

Director
SHANTI NIKETAN COLLEGE
OF BUSINESS MANAGEMENT
& COMPUTER SCIENCE
Affiliated To: Dr. B. R. Ambedkar University, Agra
(Recognised By - U. P. State Govt.)

TRUE COPY

Presiding Officer

क्षेत्रफल 1.1980 लगानी 33.93 रूपया उसकी तन्हा संकमणीय भूमिधरी आराजी है वह 2 वर्षों से आबादी के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है उक्त आराजी के संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

प्रार्थी को सुनने व पत्रावली का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 लगानी 33.93 रूपया को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई बाधा प्रतीत नही होती है अतः आदेश दिया जाता है कि

आदेश

ग्राम तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा के खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 लगानी 33.93 रूपया को उ0प्र0ज0वि0 अधि0 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार खेरागढ की आख्या दिनांक 22.09.2008 के आधार पर अकृषिक घोषित कर भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है।आदेश की एक प्रति तहसीलदार खेरागढ व उपनिबंधक खेरागढ को भेजी जाए।प्राख्यापन जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/09/2008

(अच्छेलालसिंह यादव)
उपजिलाधिकारी खेरागढ,
आगरा।

क्रमांक 13
आवेदक का नाम विजय सिंह
आवेदन की तिथि 18-10-08
तिथि 18.10.08
450
7=00
निरीक्षण
प्रति लिपिक के हस्ताक्षर

COPYING SECTION Kheragarh (Agra) S.D.O./S.D.M.

TRUE COPY
Presiding Officer

NOTARY GOVT. OF INDIA

SHANTI NI... COLLEGE OF BUSIN... ...EMENT & COMPU... ...ENCE
Affiliated To: Dr. B. R. Ambedkar University, Agra
(Recognised By:- U. P. State Govt.)